उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्या– — / I I(1)–2018–01(440) / 2012
देहरादूनः दिनांक, ०9 मई, 2018
जुलाई

कार्यालय ज्ञाप

श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, जो कि अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, द्वारा उनसे कनिष्ठ की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त कार्मिक एवं लोक शिकायक तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 11.05.2006 द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य कार्मिकों का अन्तिम विभाजन किया गया, जिसमें श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 1543 दिनांक 15.05.2007 द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 552 / 2007 दायर करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त किये गये, तदोपरान्त उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 09.05. 2012 को निम्न आदेश पारित किये गये :–

We accordingly, declare that for all practical purposes, It must be deemed that the petitioners have been allocated so the state of Uttarakhand and, accordingly, the order dated 15 May 2007 relleving them for joining the state of Uttar pradesh is quashed. Before we part, we record that it is not the contention of the state of Uttarakhand that in view of non avallabillty of snactioned posts, petioners in the writ petition cannot be accommodated.

3– श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर अवमाननावाद को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सख्या– 2018 दिनांक 17.10.2017 द्वारा श्री पाण्डेय को अन्तिम रुप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया है।

4– उत्तराखण्ड राज्य आवंटन के उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2016 को इनकी वरिष्ठता, कमांक–116ए पर निर्धारित की गयी है। तदोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के कम में श्री पाण्डेय को चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या – 426 दिनांक 10.3.2017 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। पूर्व में इनसे कनिष्ठ श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के सापेक्ष शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या –1125 दिनांक 14.5.2010 द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

5– श्री पाण्डेय की वारिष्ठता अन्तिम रुप से निर्धारित होने तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 09.05.2012 का आदेश पूर्ण रुप से अनुपालन किए जाने के दृष्टिगत श्री पाण्डेय को लोक सेवा आयोग में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 15.01. 2018 की संस्तुति जो कि शासन में दिनांक 24.01.2018 को प्राप्त हुई है, के कम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 166 दिनांक 09.02.2018 द्वारा श्री पाण्डेय को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी की सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर पदोन्नति की तिथि 14.05.2010 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है।

कमशः–2–

6– श्री पाण्डे से आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी, सहायक अभियन्ता (सिविल) की शासन की विज्ञप्ति संख्या –1508 दिनांक 18.08.2017 द्वारा पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर होने के दृष्टिगत श्री पाण्डेय को भी अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक द्वारा इन्हे अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

7– विभागीय चयन समिति की दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति के कम में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 18.08.2017 से नोशनल पदोन्नति दिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8– नोशनल पदोन्नति की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक श्री पाण्डे के वेतन आदि का निर्धारण काल्पनिक रूप से तथा सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना हेतु वास्तविक रूप से किया जायेगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /2/0 / II(1)–2018–01(440)/2012 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायलय नैनीताल को उनके पत्र संख्या 2661 दिनांक 27.03.2018 के कम में।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल/उत्तराखण्ड सरकार के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

G:\All drive Data\d Mall g\9 AA Mall g\UO 2010-15.doc